सेशन प्रकरण संख्या 157/2016(सी.आई.एस. नं–167/2016) राज्य बनाम मुरारीलाल वगै0

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अजा/जजा (अ0नि0प्र0) बारां	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये
9.03.2026	विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त मुरारीलाल मय अधिवक्ता उपस्थित। बकाया बहस अंतिम सुनी गयी। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। मुताबिक निर्णय अभियुक्त **मुरारीलाल पुत्र हंसराज माली, उम्र–19 वर्ष (वर्तमान उम्र–28 वर्ष), निवासी–खेड़ी जागीर, थाना–सदर बारां, जिला–बारां(राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **341, 323/34, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम** के आरोप के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है तथा धारा **308/34, 354/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(W)(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। सजा के बिन्दु पर पृथक से सुना गया। परिणामतः **अभियुक्त मुरारीलाल पुत्र हंसराज माली, उम्र–19 वर्ष (वर्तमान उम्र–28 वर्ष), निवासी–खेड़ी जागीर, थाना–सदर बारां, जिला–बारां(राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **341, 323/34, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित** किया जाकर निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता हैः– (i) **अभियुक्त** को **धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत दोषसिद्धि के फलस्वरूप **01 माह के साधारण कारावास** से दण्डित किया जाता है। (ii) **अभियुक्त** को **धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत दोषसिद्धि के फलस्वरूप **06 माह के साधारण कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा। (iii) **अभियुक्त** को **धारा 325/34 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत दोषसिद्धि के फलस्वरूप **दो वर्ष के साधारण कारावास व चार हजार रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा। (iV) **अभियुक्त** को **धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के तहत दोषसिद्धि के फलस्वरूप **दो वर्ष के साधारण कारावास व चार हजार रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।	

9/3/26

विशिष्ट न्यायाधीश

अभियुक्त की उक्त मूल सजाएँ साथ-साथ चलेंगी तथा पूर्व में पुलिस/ न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि मूल सजा में समायोजित होंगी।

उपरोक्तानुसार अभियुक्त मुरारीलाल का सजा वारण्ट बनाया जाए। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।

अभियुक्त द्वारा उक्तानुसार जुर्माना राशि जमा होने पर सम्पूर्ण जुर्माना राशि 9000/- परिवादी/आहत रमेशचंद को बाद गुजरने मियाद अपील क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जाए।

प्रकरण में आहत रमेशचंद को क्षतिपूर्ति की राशि दिलाए जाने बाबत उक्तानुसार आदेश किया गया है। अतः पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत अलग से क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंषा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437-ए सीआरपीसी के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय में अपील होने की स्थिति में उपस्थित होने हेतु जमानत-मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक कराए जा चुके हैं, जो निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

अभियुक्त की ओर से सजा स्थगन का प्रार्थना पत्र पेश किया कि वह इस आदेश के विरूद्ध अपील कर स्थगन आदेश लाना चाहता हैं। अभियुक्त दौराने विचारण जमानत पर रहा है। अभियुक्त को अधिकतम 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 389 सीआरपीसी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त 40-40 हजार रूपये के जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करावे कि वह दिनांक 07.04.2026 तक स्थगन आदेश लाकर पेश कर देगा, अन्यथा सजा भुगतने के लिए उपस्थित होगा।

मुताबिक आदेश अभियुक्त की ओर से जमानत मुचलके पेश किए, जो बाद जांच तस्दीक किए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, वास्ते पेश करने स्थगन आदेश दिनांक 07.04.2026 को पेश हो।

9/3/26
विशिष्ट न्यायाधीश
...जा०/ज०जा० (अ०नि०)
बारां (राज०)